UPMO040485902022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0—47517/2022

19.07.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त संजय सागर ओर से मु0अ0 सं0—531/2022, अन्तर्गत धारा—392,411,120बी,34 थाना—सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। प्रार्थी दिनांक 07.07.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी को दौराने विचारण जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की भतीजी के मोबाईल रैडमी 9 की लूट कारित करने व लूट का मोबाईल बरामद होने का कथन है। अपराध अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है। मामलें के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। न्यायालय की राय में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त संजय सागर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मनीष कुमार द्वितीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।
आई0डी0नं0—यू0पी0 1965